



संख्या : /प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/पी-२/प्रोन्नति

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नलिखित सहायक लेखाकारों को लेखाकार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय में तैनात किया जाता है। प्रोन्नत लेखाकारों की कार्यात्मक एवं नियमित तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे :-

क्रम सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री संजीव अग्रवाल (बरेली)	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण) गाजियाबाद (वि०न०प०ख०, नोएडा का अतिरिक्त कार्यभार)	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), गाजियाबाद (वि०न०प०ख०, नोएडा का अतिरिक्त कार्यभार)
2	श्री राजीव कुमार (बागपत)	विद्युत वितरण खण्ड, बागपत (कार्यालय ज्ञाप संख्या 3129 दिनांक 03.07.2013 के द्वारा परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मेरठ के लिये स्थानान्तरित, अभी कार्यमुक्त नहीं)	विद्युत वितरण खण्ड, बागपत (कार्यालय ज्ञाप संख्या 3129 दिनांक 03.07.2013 के द्वारा परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मेरठ के लिये स्थानान्तरित, अभी कार्यमुक्त नहीं)
3	श्री प्रवीण वशिष्ठ (सहारनपुर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ (केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मेरठ में अस्थाई रूप से सम्बद्ध)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ (केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मेरठ में अस्थाई रूप से सम्बद्ध)
4	श्री विमल कुमार (बिजनौर)	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मुरादाबाद	परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मुरादाबाद

- यह आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के पत्रांक 16-सप्र-12/पाकालि/2015-10-ए/2007 दिनांक 08.01.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के संदर्भ में जारी किये जा रहे हैं।
- निगम मुख्यालय पर प्राप्त/उपलब्ध अभिलेखानुसार वर्तमान तैनाती का कार्यालय अंकित किया गया है। वर्तमान में तैनाती अन्यत्र कार्यालय में आदेशित/प्रभावी होने की दशा में कार्मिक को वास्तविक वर्तमान तैनाती कार्यालय में प्रोन्नत/तैनात माना जायेगा।
- उपर्युक्त प्रोन्नति पर नियमित/कार्यात्मक तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या-79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 21.03.07 में निहित निर्देशों के अनुरूप किये जायेंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश संख्या-34006/1995 गैर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ, अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका संख्या-19803/2007, याचिका संख्या 23018/2007 एवं याचिका संख्या 13102/2013 में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- उपर्युक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत कार्मिक की सहायक लेखाकार के पद से कार्य मुक्ति की तिथि को कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन कर दिया गया है।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....2


संख्या : 75/8 /प0वि0वि0नि0लि0 /मेरठ /पी-2 /प्रोन्नति

दिनांक :

19/1/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/गाजियाबाद/मुरादाबाद/सहारनपुर।
5. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मेरठ/गाजियाबाद/मुरादाबाद/सहारनपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता।
10. सम्बन्धित कर्मचारी/वैयक्तिक पत्रावली।
11. कट फाइल।


(पी0के0 अग्रवाल)
उपमहाप्रबन्धक(लेखा)